

अण्डमान तथा
Andaman And



निकोबार राजपत्र
Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 68, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 17 मार्च, 2010
No. 68, Port Blair, Wednesday, March 17, 2010

**अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय
अधिसूचना**

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 17 मार्च, 2010

सं. 64/2010 फा.सं. 1-849/2009-टी.डब्ल्यू.— दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को भारत के राजपत्र के असाधारण अंक, भाग II, खण्ड 1, सं. 56 में प्रकाशित निम्नलिखित विनियम आम जनता की जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित किया जाता है।

ह/-

(एम.आर. त्रिवेदी)

सहायक आयुक्त (ज.क.)

**विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2009/पौष 10, 1931 (शक)

**अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय परिषद) विनियम,
2009**

(2009 का सं. 1)

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के निकोबार जिला में जनजातीय परिषद स्थापित करने के लिए निकोबारी अनुसूचित जनजातियों को उनके कार्यों के स्वायत्त सरकारी संस्थाओं के प्रबन्धन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु एक विनियम।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित विनियमों को प्रख्यापित करते हैं :-

अध्याय - I

प्रारम्भिक

1. (1) इन नियमों को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय परिषद) विनियम, 2009 कहा जा सकेगा। लघु शीर्ष विस्तार तथा प्रारंभ

(2) इसका विस्तार निकोबार जिला में है (शोम्पेन बन्दोबस्त क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है) और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के निकोबारी बन्दोबस्त क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है लेकिन अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (पंचायत) विनियम, 1994 का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है।

(3) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।